

डिकी बमूकदमें इब्बदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- आकोड़ा

मु0न0260/2017

वादीगण-

राजस्व लोक अदालत अभियान

न्याय आपके द्वार-2018

1. गोविन्दसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोसेरी तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. इन्द्रसिंह
2. भवानीसिंह
3. दुर्गसिंह पुत्रगण किशोरसिंह
4. मुन्नी कंवर पत्नी चन्द्रसिंह
5. राजभेरू सिंह
6. विरेन्द्र सिंह पुत्रगण चन्द्र सिंह ना.वा जरिये कुदरती वलिया माता मुन्नीकंवर
7. रसाल कंवर
8. गुलाब कंवर
9. अन्तर कंवर
10. लिछमा कंवर पुत्रिया किशोरसिंह जाति राजपूत निवासीगण बोसेरी।
11. किशोर सिंह पुत्र दुलसिंह
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-05.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी गोविन्दसिंह व प्रतिवादी संख्या 7 से 10 के सामलाती हक बंट में मौजा बोसेरी का खेत ख नं 56 रकबा 184.17 बीघा में से 60.14 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रसिंह के हक बंट में मौजा बोसेरी का खेत ख नं 135 रकबा 70.14 बीघा में से 60.14 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 भवानीसिंह के हक बंट में मौजा बोसेरी का खेत ख नं 135 रकबा 70.14 बीघा में से 10 बीघा नजरीनकशानुसार , ख नं 56/1 रकबा 48 बीघा नजरीनकशानुसार , ख नं 56 रकबा 184.17 बीघा में से 2.15 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 23 दुर्गसिंह के हक बंट में मौजा बोसेरी का खेत ख नं 56 रकबा 184.17 बीघा में से 60.14 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कमश मुन्नी कंवर, राजभेरूसिंह एवं विरेन्द्रसिंह के सामलाती हक बंट में मौजा बोसेरी का खेत ख नं 56 रकबा 184.17 बीघा में से 60.14 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करने वसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।





(सुरेंद्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर